न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– सुगनाराम वगैरह बनाम किशोरराम आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 09 वर्ष 2017

दिनांक	आज्ञा पत्र	
30.04.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील आवेदकगण उपस्थित। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 24 बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस उपस्थित नहीं आए। अतः इनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। वकील आवेदकगण की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया गया। हमने वकील आवेदकगण की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि ग्राम लढाणा तह0 दांतारामगढ़,सीकर खाता सं0 24 की वर्तमान ख0नं0 293, 294, 328, 459, 460, 461, 462, 463 कुल किता 8 कुल रकबा 5.33 है0 व खाता सं0 25 के वर्तमान ख0नं0 326, 346, 347, 377, 378 कुल किता 5 कुल रकबा 8.44 है0 अवस्थित है। आवेदकगण द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधिनियम पेश कर अनावेदकगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द करने हेतु निवेदन किया है। अनावेदकगण को जरिये नोटिस सूचित करने पर बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। विवादित भूमियां पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी की भूमियां है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति आवेदकगण के पक्ष में होना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम लढाणा तह0 दांतारामगढ़,सीकर के वर्तमान ख0नं0 293, 294, 328, 459 से 463 कुल किता 8 कुल रकबा 5.33 है0 व ख0नं0 326, 346, 347, 377, 378 कुल किता 5 कुल रकबा 8.44 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें।पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलक्टर (मु0)सीकर	

Scanned with CamScanner